बिल का सारांश

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) बिल, 2023

- केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) बिल, 2023 को 13 दिसंबर, 2023 को लोकसभा में पेश किया गया। यह केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) एक्ट, 2017 में संशोधन करता है। एक्ट में वस्तुओं एवं सेवाओं की अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर सीजीएसटी की उगाही और संग्रह का प्रावधान है।
- **अपीलीय ट्रिब्यूनल के सदस्यों की योग्यता में परिवर्तन**: एक्ट केंद्र सरकार को जीएसटी परिषद के सुझावों पर अपीलीय ट्रिब्यूनल बनाने की अनुमति देता है। ट्रिब्यूनल में अध्यक्ष, एक न्यायिक सदस्य और दो तकनीकी सदस्य शामिल हैं। निम्नलिखित व्यक्ति न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के पात्र हैं: (i) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, या (ii) न्यूनतम 10 वर्षों तक सेवारत जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश। बिल कम से कम 10 वर्ष के अनुभवी वकीलों को न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त करने की अनुमति देता है। उन्हें अप्रत्यक्ष कराधान से संबंधित मामलों में पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। ट्रिब्यूनल के सदस्य या अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने की न्यूनतम आयु 50 वर्ष होगी।
- **आयु सीमा**: बिल निम्नलिखित की आयु सीमा में वृद्धि करता है: (i) ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के लिए 67 से 70 वर्ष, और (ii) सदस्यों के लिए 65 से 67 वर्ष।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

प्रतिनव दमानी
pratinav@prsindia.org

15 दिसंबर, 2023